



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक ५४७/यूपीसीएल/आर.एम./एन-58

दिनांक 24-01-2025

कार्यालय ज्ञाप

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को की गई घोषणा के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 630/I(2)/2024-06(3)-23/2024, दिनांक 24-09-2024 के अनुपालन में निर्गत यूपीसीएल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4950/यूपीसीएल/आर.एम./एन-58 दिनांक 27.09.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 5561/यूपीसीएल/आर.एम./एन-58 दिनांक 06.11.2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को लागू विद्युत दरों में सब्सिडी प्रदान करने के आदेश निर्गत है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 813/I(2)/2024-06(3)-23/2024, दिनांक 20.12.2024 द्वारा उक्त वर्णित उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 24-09-2024 में किये गये आंशिक संशोधन के अनुपालन में यूपीसीएल के उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.09.2024 एवं 06.11.2024 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेशित किया जाता है:

1. हिम-आच्छादित क्षेत्र के (Snow Bound Area) के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, को लागू विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी। हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow Bound Area) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर योजना का लाभ उत्तराखण्ड नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचित कर अनुमन्य कराया जायेगा।
2. अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
3. उक्त सब्सिडी 01 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।
4. किसी सम्पत्ति में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत 1 किलोवाट विद्युत भार के एक से अधिक संयोजन उस सम्पत्ति के विधिक विभाजन के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे। लाभार्थी द्वारा उक्त योजना का दुरुपयोग पाये जाने पर सम्बन्धित लाभार्थी की सब्सिडी की सुविधा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी तथा उसे तब तक की प्रदान की गयी सब्सिडी का दो गुना धनराशि आगामी बिल में जोड़ कर वसूल की जायेगी।
5. उक्त सब्सिडी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजन पर अनुमन्य नहीं होगी।

6. विद्युत टैरिफ में सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक ही विद्युत कनेक्शन पर दिया जायेगा तथा यूपीसीएल के सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी उचित कारण उनके पूर्व से स्थापित विद्युत संयोजन की क्षमता को कम करने अथवा एक से अधिक विद्युत संयोजन में परिवर्तित करने का प्रयास न किया गया हो।
 7. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण यूपीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
 8. उक्त सब्सिडी का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक...../यूपीसीएल/आर.एम./एन-58 तददिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ चमोली/ टिहरी/ देहरादून/ रुद्रप्रयाग/ पौड़ी/ अल्मोडा/ नैनीताल/ बागेश्वर/ पिथौरागढ़/ चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

(डी.एस. खाती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक 487...../यूपीसीएल/आर.एम./एन-58

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनीय एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:

1. स्टॉफ आफिसर (स्तर-1) - प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल।
2. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), यूपीसीएल।
3. अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन/ तकनीकी), यूपीसीएल।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल/कुमाऊं/हरिद्वार/उधमसिंह नगर क्षेत्र, यूपीसीएल, देहरादून/हल्द्वानी/हरिद्वार/रुद्रपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (परियोजना/आरएपीडीआरपी), यूपीसीएल।
6. महाप्रबन्धक (कम्पनी सचिव/विधि), यूपीसीएल।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त/आन्तरिक सम्प्रेक्षा/मानव संसाधन), यूपीसीएल।
8. पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अनुभाग, यूपीसीएल।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/वाणिज्य/आरएपीडीआरपी), यूपीसीएल।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/ परीक्षण/आर-एपीडीआरपी), यूपीसीएल।
11. समस्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, यूपीसीएल।

(डी.एस. खाती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)